

## लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स अमित कुमार, प्रो० श्री अमित कुमार, पिता श्री उदय शंकर यादव, मुहल्ला – पन्डा सराय, थाना – लहेरिया सराय, जिला – दरभंगा द्वारा बागमती नदी के मौजा – पौराम, मन्नपुर खररा, बालू घाट क्लस्टर/यूनिट नं० – ०१, ब्लॉक – ०१ एवं ०२ (क्षेत्रफल – ११.० हेक्टेयर) प्रखण्ड – हायाघाट, जिला – दरभंगा में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक – सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं० – एस. ओ. १५३३, दिनांक १४ सितम्बर २००६ यथा संशोधित के आलोक में दिनांक २४.०८.२०२३ को पूर्वाह्न ११:०० बजे प्रखण्ड सभागार, हायाघाट, जिला – दरभंगा के प्रांगण में लोक-सुनवाई की गयी।

यह लोक-सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, २००६ के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या – SIA/1(a)/२३३३/२०२३, दिनांक २४.०३.२०२३ के आलोक में श्री राजेश झा, अपर समाहर्ता, दरभंगा की अध्यक्षता में की गयी।  
**उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-१)**

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा “प्रभात खबर” एवं “हिन्दुस्तान” के माध्यम से दिनांक २२.०७.२०२३ को प्रकाशित की गयी है। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस. एन.ठाकुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मुजफ्फरपुर के द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, २००६ के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है, जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण सलाहकार के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाए सुझाए गए हैं, जिसका अनुपालन होना चाहिए। नियमों का पालन नहीं होने पर, इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। इनके द्वारा लोगों को अवगत कराया गया कि बालू परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी पर्यावरण सलाहकार द्वारा दी जायगी। तत्‌पश्चात् आप लोगों के द्वारा सुझाव दिया जायगा, जिसे लिपिबद्ध करते हुए अनुशंसा की जायगी।

निदेशानुसार परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मो० अमीन अख्तर ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

१. यह बालू खनन पट्टा बागमती नदी के मौजा-पौराम, मन्नपुर खररा, बालू घाट क्लस्टर/यूनिट नं०-०१, ब्लॉक-०१ एवं ०२ (क्षेत्रफल-११.० हेक्टेयर) प्रखण्ड-हायाघाट, जिला-दरभंगा में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री अमित कुमार, पिता श्री उदय शंकर यादव को इस

खनन पट्टा के लिए वैधानिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा बालू घाट क्लस्टर/यूनिट नं0-01, ब्लॉक-01 एवं 02 (क्षेत्रफल-11.0 हेक्टेयर) से प्रतिवर्ष 110220 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹71.4 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालू घाट मौजा-पौराम, मन्नुपुर खररा, क्लस्टर/यूनिट नं0-01, ब्लॉक-01 एवं 02 को सम्मिलित किया गया है।

2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर “वैज्ञानिक विधि” तथा अनुमोदित “खनन योजना” के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए हैं।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा, जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो।
4. खनन का कार्य केवल 3 मीटर गहराई तक अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्ग, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लेखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूलकणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर परिवहन किया जायगा। खनिज से रिसने वाला जल से मार्गों को जलमग्न नहीं होने दिया जायगा। खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।

11. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।

12. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री अमरेश यादव, दरभंगा— इनके द्वारा पुछा गया कि बालू खनन एवं परिवहन के क्रम में उड़ने वाले धुलकंण को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन उपाय किये जायगे।	पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि बालू का लोडिंग निर्धारित सीमा के अनुसार होगी। बालू को ढक कर परिवहन किया जायगा, जिससे गाड़ी के पीछे चलने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। साथ ही सड़क पर बालू भी नहीं गिरे। बालू लोडिंग के पश्चात् नमी करने के बाद ही परिवहन किया जायगा, जिससे हवा के साथ वातावरण में नहीं फैले।
2.	श्री उदय शंकर यादव, पंडा सराय, लहेरियासराय— इनके द्वारा पुछा गया कि बालू खनन संबंधी परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा अथवा नहीं ?	पर्यावरण सलाहकार के द्वारा बताया गया कि बालू खनन एवं इसके परिवहन में स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जायेगा। स्थानीय ट्रैक्टर, ट्रक एवं अन्य वाहन का उपयोग किया जायेगा। परियोजना के प्रारंभ होने से स्थानीय लोगों को रोजगार का अच्छा अवसर प्राप्त होगा।
3.	मो ० रईस अहमद सिद्दीकी, ग्राम – चंदनपट्टी – इनके द्वारा पुछा गया कि इस परियोजना में कहाँ-कहाँ पर पेड़ लगाये जायगे। पेड़ों की रक्षा एवं विकास करने का जिम्मेवारी किनका होगा।	सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि पहुँच पथ के दोनों किनारे, नदी के किनारे एवं उपलब्ध सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण की जायेगी। पेड़ों को गेबियन द्वारा घेरकर जानवरों से रक्षा किया जायगा। पेड़ों की विकास एवं देख-रेख करने की जिम्मेवारी बालू परियोजना के प्रबंधक की होगी।
4.	श्री विकास कुमार सिंह, हायाघाट-भाड़ी गाड़ी एवं ओभर लोडिंग के कारण सड़क टुट जाती है, जिसका मरम्मति किनके द्वारा किया जायेगा।	सलाहकार द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि बालू का लोडिंग गाड़ी के निर्धारित क्षमता के अनुसार की जायगी। पहुँच पथ का मरम्मत एवं देख-रेख खनन पट्टाधारक द्वारा की जायगी।
5.	श्री बेचन यादव, पौराम-खेतीहर जमीन में बालू रहने पर खनन करने का अधिकार किसका होगा एवं किस प्रकार किया	इस संबंध में खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि रैयती जमीन में बालू रहने पर सरकार के दिशा निर्देश अनुसार

	जायेगा।	उपलब्ध बालू का आकलन कराया जायगा। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही अधिकृत व्यक्ति द्वारा बालू का खनन किया जायेगा।
6.	श्री विकास चौहान, गड़हरी एवं श्री देवेन्द्र प्रसाद, नवका टोल, अशोक पेपर मिल—वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए क्या—क्या उपाय किया जायगा।	पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि कच्ची सड़कों पर आवश्यकता अनुसार दिन में नियमित रूप से 3/4 बार जल छिड़काव कराया जायगा। सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कर विकास की जायगी। बालू का ढुलाई तिरपाल से ढक कर किया जायगा। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्राप्त करने वाले वाहनों का प्रयोग बालू ढुलाई कार्य में लगाया जायगा।
7.	मो० आसिफ अली, ग्राम—रसूलपुर—ग्रामीण क्षेत्र में तेज गति से गाड़ी का परिचालन नहीं होना चाहिए। इसके रोकथाम के लिए आवासीय क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर का व्यवस्था होना चाहिए।	बालू ढुलाई का कार्य घनी आबादी के बीच से नहीं की जायगी। इसके लिए वैकल्पिक रास्ता का प्रयोग किया जायगा। विशेष परिस्थिति में आबादी के बीच से गाड़ी का संचालन करने पर गति सीमा निर्धारित होगी।

बालू खनन पटौधारक श्री अमित कुमार द्वारा लोगों का आश्वासन दिया गया कि लोक—सुनवाई के क्रम में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताये गये नियमों एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

लोक—सुनवाई के अंत में उपस्थित जनसमुदाय द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट से खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया एवं सहमति प्रदान की गयी। तत्पश्चात् लोक—सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

3/8/2022  
क्षेत्रीय पदाधिकारी  
बिरामपुरनिपर्षद,  
मुजफ्फरपुर

अपर समाहर्ता  
दरभंगा

## उपस्थिति सूची

मेसर्स अमित कुमार, प्रो० श्री अमित कुमार, मुहल्ला-पन्डा सराय, थाना-लहेरिया सराय, दरभंगा द्वारा बागमती नदी के मौजा - पौराम, मनुपुर खररा, बालू घाट क्लस्टर / यूनिट नं०-०१, ब्लॉक-०१ एवं ०२ (क्षेत्रफल-११.० हेक्टेयर) प्रखण्ड-हायाघाट, जिला-दरभंगा में बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.08.2023 को पूर्वाहन 11:00 बजे प्रखण्ड सभागार, हायाघाट, जिला- दरभंगा में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अपर सामा हन्ता	दरभंगा	24.8.23.
2.	एस. एन. बाबू	स्ट्रील पट्टा०, किंदा० राजस प्रदेश नगरपालिका०	24.08.23
3.	सुश्या छीपिका	रवनिज विकास प्राप्ति, दरभंगा।	24.08.23.
4.	निवेदिता	प्रखण्ड सिकास प्राप्ति, दरभंगा।	24.08.23
5.	Amin Akntan	Consultant Rion Enviro Pvt Ltd	Amritanshu 24/08/23
6.	विकास कुमार भट्ट	प्रमुख उत्तिनिधि दरभंगा	विकास 24/08/23
7.	मनोज कुमा० सिंह	रु०२०८५४८ (नगरपालिका०) लेखालै	मनोज कुमार सिंह
8.	अमित कुमार	प्रखण्ड समराठी लिमिटेड	अमित कुमार
9.	सुवीष भाटा	दरभंगा	सुवीष भाटा

10.	Deepak Kumar	AKRUPHA, SIRMAUR, HARYANA - DARBHANIP	Deepak Kumar
11.	अनंत सिंह यादव	प्रौद्योगिकी विभाग मित्रा ८२५५१	प्रौद्योगिकी विभाग
12.	श्रीमति योगेश कुमार	प्रौद्योगिकी विभाग स्टॉक बॉली	प्रौद्योगिकी विभाग
13.	पुरुष कुमार	प्रौद्योगिकी विभाग प्रौद्योगिकी विभाग	प्रौद्योगिकी विभाग
14.	Bikash Chud	प्रौद्योगिकी विभाग	Bikash Chud
15.	Ram Sakalkumar	AKARAH (South)	Ram Sakalkumar
16.	Ram Pravech yadav	Akraha	Ram Pravech
17.	प्रौद्योगिकी विभाग	प्रौद्योगिकी विभाग	प्रौद्योगिकी विभाग
18.	Nilesh mishra	Sr manager Riam Enviro Pvt Ltd	Nilesh
19.	Anil Kumar	Pandukarai	Anil
20.	प्रौद्योगिकी विभाग	प्रौद्योगिकी विभाग	प्रौद्योगिकी विभाग
21.	प्रौद्योगिकी विभाग	प्रौद्योगिकी विभाग	प्रौद्योगिकी विभाग
22.	प्रौद्योगिकी विभाग	प्रौद्योगिकी विभाग	प्रौद्योगिकी विभाग
23.	योगेश कुमार	प्रौद्योगिकी विभाग	Yogesh Kumar
24.	प्रौद्योगिकी विभाग	प्रौद्योगिकी विभाग	Yogesh Kumar

25.	Vedang Shantilal Yadev	Pandit Ganesh L. Sera Deshbhanga	17/8/2023 26/8/2023
26.	Abhijit Yadev	Palkabachchiva.	31/7/2023 24/8/2023
27.	विवेक पाण्डित	दीर्घीपूर्व	विवेक पाण्डित
28.	मनोज पाण्डित	दीर्घीपूर्व	मनोज पाण्डित
29.	निरुप पाण्डित	दीर्घीपूर्व	निरुप पाण्डित
30.	जुलियन असी	पंचिलाम्पुर	जुलियन असी
31.	34 मुंग पाण्डित मोहन कुमार	प्रभाविताम्पुर	34 मुंग
32.	सालवाहु अकेले	सालवाहु	सालवाहु अकेले
33.	पट्टुकुमार सहनी	पट्टुकुमार	पट्टुकुमार सहनी
34.	मनीष कुमार गांडव	पोराम	मनीष कुमार गांडव
35.	अमृत कुमार गो	पोराम	अमृत कुमार
36.	पंकज कांडनी	पोराम	पंकज
37.	राजा कुमार प्रजापति	राजुलाल	राजा कुमार
38.	नितेश कुमार	पोराम	नितेश
39.	पंकज कुमार	पोराम	पंकज

40.	राम पुराण सिंह	जगदीश कुमार	राम पुराण सिंह
41.	दिव्य देवता श्री हनुमान पूजा		D. K. Singh
42.	वीर देवता	मनोज कुमार	वीर देवता
43.	बाली अली	पंचल कुमार बुजुर्ग 6(२४)१२	बाली अली
44.	झाँकी नारायण	प्रभानंद - अमृतालय	झाँकी
45.	Anuradha Kumar	Kamalpr	Anuradha
46.	दिव्य-देवता नारायण	मनोज कुमार	दिव्य-देवता
47.	Suneeta Yoddan-	Bohemian	Suneeta
48.	—	X Dinesh 21/8/2020	—
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			